न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी— रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
12 / 2023	16 / 01 / 2023	11 / 06 / 2025

द्वारकयाबाई उर्फ दवारिका बाई पत्नी लटूरलाल जाति बैरवा निवासी बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

वादीया

बनाम

1. कंचन पुत्री गणेश
2. गीता पुत्री गणेश
3. छोटी पुत्री गणेश
4. सुगना पुत्री गणेश
5. रामचंदी पत्नी गणेश
6. गुलाब पत्नी लडडू
7. जगन्नाथ पुत्र मथुरा
8. रामदेव पुत्र मथुरा
9. बाबूलाल पुत्र मथुरा
10. जगन्नाथी पुत्री मथुरा
11. भरोसी पत्नी मथुरा
12. पुनी पत्नी मथुरा
13. केसर पत्नी मथुरा
14. लटूर पुत्र मांग्या
15. रामदयाल पुत्र बजरंगा
16. गिरिराज पुत्र बजरंगा
17. रामसिंह पुत्र बजरंगा
18. माधीबाई पुत्री बजरंगा
19. गोरधनी पुत्री बजरंगा
20. रामी पुत्री बजरंगा
21. सको बाई पुत्री बजरंगा
22. कन्या पत्नी बजरंगा
23. नागाराम पुत्र कान्हा
24. मथूरी पुत्री कान्हा
25. पाना पुत्री कान्हा
26. धन्नी पत्नी कान्हा
27. कल्याण पुत्र धुल्या
28. सीमा पुत्री केसर
29. शंकरी पुत्री केसर
30. प्रभूदयाल माता केसर जातियान बैरवा निवासीगण बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

प्रतिवादीगण

वादीगण की और से उपस्थित अधिवक्ता —श्री श्याम बैरवा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक ..11/6/25........

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम माल बागली पटवार हल्का बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 की खसरा नम्बर 164 रकबा 1.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 165 रकबा 2.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 264 रकबा 1.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 413 रकबा 1.51 हैक्टर, कुल किता 4 कुल रकबा 7.12 हैक्टर कृषि आराजी मे प्रतिवादी कम 01 ता 05 का 1/10 हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/50–1/50 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 06 लगायत 13 का 1/10 हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/80–1/80 हिस्सा व प्रतिवादी कम 14 लटूर पुत्र मांग्या का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी कम 15 लगायत 22 के पिता बजरंगा पुत्र घांसी का 1/10 हिस्सा इस प्रकार प्रतिवादी कम 15 से लगायत 22 का वर्णित आराजी मे प्रत्येक का 1/80–1/80 हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी कम 23 लगायत 26 का 1/10 हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/40–1/40 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 27 कल्याण पुत्र धूल्या व प्रतिवादी कम 28 से 30 की मॉ केसर पुत्री धूल्या व कन्या पुत्री धूल्या का 1/2 हिस्सा अर्थात कल्याण का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी कम 28 से 30 का 1/6 हिस्सा और मृतक खातेदार कन्या का 1/6 हिस्सा बनता है वाद पत्र मे वर्णित आराजी की खातेदार कन्या पुत्री धूल्या ने सम्पूर्ण आराजी के 1/2 हिस्से मे दर्ज अपना 1/3 भाग अर्थात कुल जोत का 1/6 हिस्सा जर्ये रजिस्ट्र्ड विकय पत्र दिनांक 03.02.2012 को कीमत 2,90,000 रू0 मे वादीया को बैचान कर दिया है, इस प्रकार खातेदार विकेता कन्या पुत्री धूल्या के 1/6 हिस्से वाली भूमि पर जमांबदी सम्वत् 2066–69 मे दर्ज नामान्तरण संख्या 402 से वादीया का नाम कन्या पुत्री धूल्या के स्थान पर दर्ज किया गया। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत् 2066 से 69 मे दर्ज नामान्तरण संख्या 403 से खातेदार केसर पुत्री धूल्या के स्थान पर उसके वारिसान प्रतिवादी कम 28 से 30 सीमा, शंकरी, व प्रभूदयाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया गया। प्रतिवादी कम 28 से 30 सीमा, शंकरी व प्रभूदयाल ने सम्पूर्ण आराजी मे दर्ज 1/2 हिस्से का अपना 1/3 भाग कुल जोत का 1/6 हिस्सा जर्ये रजिस्ट्र्ड विकय पत्र दिनांक 18.05.2012 को किमत 3,00,000 रू0 मे वादीया को बैचान कर दिया तब सें ही वादीया अपने द्वारा कय की गई सम्पूर्ण आराजी पर काबिज काश्त चली आ रही है। वादीया द्वारक्याबाई ने जमाबंदी सम्वत् 2066–69 मे दर्ज खातेदार कन्या पुत्री धूल्या का 1/6 हिस्सा व 1/2 हिस्से मे दर्ज खातेदार केसर का 1/3 भाग कुल जोत का 1/6 हिस्सा मृतक केसर के वारिसान प्रतिवादीगण 28, 29, 30 ने वादीया को बैचान कर दिया। इस प्रकार वादीया का वाद पत्र की मद नम्बर 01 मे वर्णित सम्पूर्ण आराजी मे 1/3 हिस्से की खातेदार हो गई है।

ग्राम बागली की जमाबंदी सम्वत् 2070 से 73 की खसरा नम्बर 164 रकबा 1.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 165 रकबा 2.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 264 रकबा 1.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 413 रकबा 1.51 हैक्टर, कुल किता 4 कुल रकबा 7.12 हैक्टर कृषि आराजी मे वादीया का 1/3 हिस्सा दर्ज हे जो सही है तथा उक्त जमाबंदी बनाते समय पटवारी हल्का व तहसीलदार पीपल्दा द्वारा घोर त्रुटि करते हुये प्रतिवादी कम 28 से 30 प्रभूदयाल, शंकरी, सीमाबाई का नाम की पुनरावृति जमाबंदी सम्वत् 2070 से 73 मे की गई जबकी प्रतिवादी कम 28 से 30 ने अपने हिस्से वाली कृषि आराजी को दिनांक 18.05.2012 को वादीया को बैचान कर दिया था। इस प्रकार प्रतिवादी कम 28 से 30 का नाम वर्णित आराजी पर गलत दर्ज किया गया, तथा प्रतिवादी कम 27 कल्याण पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

धूल्या का राजस्व रिकॉर्ड मे 1/6 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था लेकिन प्रतिवादी कल्याण पुत्र धूल्या का नाम भी प्रतिवादी कम 28 से 30 के साथ 1/3 हिस्से मे दर्ज कर दिया गया जबकि सम्पूर्ण वर्णित आराजी मे प्रतिवादी कम 27 कल्याण पुत्र धूल्या का 1/6 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था और प्रतिवादी कम 28 से 30 का नाम खाते से विलोपित किया जाना चाहिये था। लेकिन हल्का पटवारी व तहसीलदार पीपल्दा द्वारा नवीन जमाबंदी बनाते समय वर्णित आराजी मे गलत हिस्सा दर्ज कर दिया गया। वाद पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित ग्राम बागली की कृषि आराजी की नवीन जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 बनाते समय हल्का पटवारी व तहसीलदा पीपल्दा द्वारा घोर त्रुटि करते हुये वादीया व प्रतिवादीगण का हिस्सा जमांबदी सम्वत् 2066 से 69 के मुताबिक नही करते हुये असमान हिस्से दर्ज कर दिये गयें जबकी वादीया का सम्पूर्ण आराजी मे 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था लेकिन घोर त्रुटि करते हुये वादीया का 1/18 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया। इसी प्रकार प्रतिवादी कम 01 ता 05 प्रत्येक का 1/50–1/50 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था लेकिन त्रुटि करते हुये प्रत्येक का 1/30–1/30 हिस्सा दर्ज किया , इसी प्रकार प्रतिवादी कम 06 से लगायत 13 प्रत्येक का 1/80–1/80 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था लेंकिन त्रुटि करते हुये प्रत्येक का 1/48–1/48 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया, इसी प्रकार प्रतिवादी कम 14 का 1/10 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था लेकिन त्रुटि करते हुये 1/6 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया, इसी प्रकार 15 से लगायत 22 प्रत्येक का 1/80–1/80 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था लेकिन त्रुटि करते हुये प्रत्येक का 1/48–1/48 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया, इसी प्रकार प्रतिवादी कम 23 से लगायत 26 प्रत्येक का 1/40–1/40 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था लेकिन त्रुटि करते हुये प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया, तथा प्रतिवादी कम 28 से 30 का नाम खाते से विलोपित किया जाना चाहिये था लेकिन त्रुटि करते हुये प्रतिवादी कम 28 से 30 प्रत्येक का 1/54–1/54 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया, इस प्रकार वादीया को अधिकार प्राप्त है कि उसके द्वारा कय की गई कृषि आराजी के मुताबिक वाद पत्र मे वर्णित सम्पूर्ण कृषि आराजी मे 1/3 हिस्से की खातेदार घोषित करवाने का अधिकार प्राप्त है। वादीया द्वारा प्रतिवादीगण से वर्णित आराजी का खाता दुरूस्त करवाने बाबत् कई बार निवेदन किया गया लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा प्रत्येक बार मना करने पर वादीया द्वारा प्रतिवादी कम 31 तहसीलदार पीपल्दा के समक्ष आवेदन किया गया लेकिन तहसीलदार पीपल्दा द्वारा अपने कार्य क्षेत्र का कार्य नही बताते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने की हिदायत देते हुये स्पश्ट मना करने पर वाद कारण दिनांक 07.02.2022 से लगातार उत्पन्न हो रहा है। प्रतिवादी कम 31 तहसीलदार पीपल्दा को वाद पत्र मे पक्षकार बनाया गया है जिनको वाद पूर्व धारा 80 सी.पी.सी के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वाद पत्र अर्जेन्ट नेचर का होने से समयाभव के कारण नोटिस दिया जाना संभव नही होने से वाद परमिशन हैतु धारा 80(2)C.P.C का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया है इत्यादि वाद पत्र वादीया द्वारा जर्ये अधिवक्ता पेश किया गया है।

वादीया की ओर से वाद पत्र श्री श्याम बैरवा एडवोकेट ने पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी हेतु समन्न जारी किया गया प्रतिवादी कम 06 व 08 स्वयं उपस्थित हुये तथा शेष प्रतिवादीगण की जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस से करवाई गई बावजूद सुचना के प्रतिवादी कम 06 व 08 आगामी पेशी पर

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

उपस्थित नही होने व शेष प्रतिवादीगण बावजूद सुचना के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई उसके पश्चात् वकील वादीया द्वारा साक्ष्य के रूप मे पी.डबल्यू 1 साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया वादीया द्वारा साक्ष्य के रूप मे निम्न दस्तावेज पेश किय गये – नकल जमाबंदी सम्वत् 2066–69 खसरा नम्बर 164 ,165 ,204, 413, प्रदर्श पी 1 है, विकय पत्र दिनांक 03.02.2012 प्रदर्श 2 है, विकय पत्र दिनांक 18.05.2012 प्रदर्श 3 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73 खसरा नम्बर 164 ,165 ,204, 413, प्रदर्श पी 4 है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–77 खसरा नम्बर 164 ,165 ,204, 413, प्रदर्श पी 5 है। सभी दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

कियात्मक आदेश

वकील वादीया उपस्थित बहस सुनी गई। पत्रावली मे मौजूद दस्तावेत का अवलोकन किया गया सम्पूर्ण दस्तावेज मय वाद पत्र अवलोकन व मनन करते हुये वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बागली पटवार हल्का बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 मे स्थित कृषि आराजी खसरा नम्बर 164 रकबा 1.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 165 रकबा 2. 39 हैक्टर, खसरा नम्बर 264 रकबा 1.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 413 रकबा 1.51 हैक्टर, कुल किता 4 कुल रकबा 7.12 हैक्टर सम्पूर्ण आराजी का सम्पूर्ण खाता दुरूस्त किया जाकर सम्पूर्ण आराजी मे वादीया – द्वारकाबाई पत्नी लटूरलाल जाति बैरवा निवासी बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान को सम्पूर्ण कृषि आराजी मे 1/3 हिस्से की खातेदार घोषित किया जाकर पालना हेतु तहसीलदार पीपल्दा को लिखा जावें तथा प्रतिवादी कम 01 लगायत 05 (कंचन, गीता, छोटी, सुगना पुत्रीया, रामचन्दी पत्नी गणेश) प्रत्येक का 1/50–1/50 हिस्सा दर्ज किया जाता हैं, प्रतिवादी कम 06 लगायत 13 (गुलाब पत्नी लडडू, जगन्नाथ, रामदेव, बाबूलाल पुत्रान् मथुरा जगन्नाथी, भरोसी पुत्रीया मथुरा, पुनी पत्नी मथुरा, केसर पत्नी मथुरा) प्रत्येक का 1/80–1/80 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जाता हैं, प्रतिवादी कम 14 को 1/10 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जाता हैं, प्रतिवादी कम 15 लगायत 22 (रामदयाल, गिरिराज, रामसिंह पुत्रान् बजरंगा, माधीबाई, गोरधनी, रामी, सकोबाई पुत्रीया बजरंगा, कन्या पत्नी बजरंगा) प्रत्येक को 1/80–1/80 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जाता हैं। प्रतिवादी कम 23 से लगायत 26 (नागाराम पुत्र कान्हा, मथरी पुत्री कान्हा, पाना पुत्री कान्हा, धन्नी पत्नी कान्हा) प्रत्येक को 1/40–1/40 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जाता है। प्रतिवादी कम 27 कल्याण पुत्र धूल्या को 1/6 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जाता है। तथा प्रतिवादी कम 28 से 30 –सीमा, शंकरी पुत्रीया केसर, प्रभूदयाल पुत्र केसर – का नाम खाते से विलोपित किया जाता है। पालना कर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल–दरामद किया जावें तदनुसार डिकी जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

इस निर्णय के पृष्ठ संख्या 4 के पैरा नं. 1 के लाइन नं. 5 व 8 में खसरा नम्बर 204 के स्थान पर 264 पढ़ा जावे।

Ramniwas
18/06/25
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
12/2023	16/01/2023	11/06/2025

द्वारक्याबाई उर्फ दवारिका बाई पत्नी लटूरलाल जाति बैरवा निवासी बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

वादीया

बनाम

1. कंचन पुत्री गणेश
2. गीता पुत्री गणेश
3. छोटी पुत्री गणेश
4. सुगना पुत्री गणेश
5. रामचंदी पत्नी गणेश
6. गुलाब पत्नी लड्डू
7. जगन्नाथ पुत्र मथुरा
8. रामदेव पुत्र मथुरा
9. बाबूलाल पुत्र मथुरा
10. जगन्नाथी पुत्री मथुरा
11. भरोसी पत्नी मथुरा
12. पुनी पत्नी मथुरा
13. केसर पत्नी मथुरा
14. लटूर पुत्र मांग्या
15. रामदयाल पुत्र बजरंगा
16. गिरिराज पुत्र बजरंगा
17. रामसिंह पुत्र बजरंगा
18. माधीबाई पुत्री बजरंगा
19. गोरधनी पुत्री बजरंगा
20. रामी पुत्री बजरंगा
21. सको बाई पुत्री बजरंगा
22. कन्या पत्नी बजरंगा
23. नागाराम पुत्र कान्हा
24. मथूरी पुत्री कान्हा
25. पाना पुत्री कान्हा
26. धन्नी पत्नी कान्हा
27. कल्याण पुत्र धुल्या
28. सीमा पुत्री केसर
29. शंकरी पुत्री केसर
30. प्रभूदयाल माता केसर जातियान बैरवा निवासीगण बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

प्रतिवादीगण

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

वादीगण की और से उपस्थित अधिवक्ता –श्री श्याम बैरवा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक ...11/6/25.......

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम बागली पटवार हल्का बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 मे स्थित कृषि आराजी खसरा नम्बर 164 रकबा 1.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 165 रकबा 2.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 264 रकबा 1.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 413 रकबा 1.51 हैक्टर, कुल किता 4 कुल रकबा 7.12 हैक्टर सम्पूर्ण आराजी का सम्पूर्ण खाता दुरूस्त किया जाकर सम्पूर्ण आराजी मे वादीया – द्वारकाबाई पत्नी लटूरलाल जाति बैरवा निवासी बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान को सम्पूर्ण कृषि आराजी मे 1/3 हिस्से की खातेदार घोषित किया जाकर पालना हेतु तहसीलदार पीपल्दा को लिखा जावें तथा प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 (कंचन, गीता, छोटी, सुगना पुत्रीया, रामचन्दी पत्नी गणेश) प्रत्येक का 1/50–1/50 हिस्सा दर्ज किया जाता हैं, प्रतिवादी क्रम 06 लगायत 13 (गुलाब पत्नी लडडू, जगन्नाथ, रामदेव, बाबूलाल पुत्रान् मथुरा जगन्नाथी, भरोसी पुत्रीया मथुरा, पुनी पत्नी मथुरा, केसर पत्नी मथुरा) प्रत्येक का 1/80–1/80 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जाता हैं, प्रतिवादी क्रम 14 को 1/10 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जाता हैं, प्रतिवादी क्रम 15 लगायत 22 (रामदयाल, गिरिराज, रामसिंह पुत्रान् बजरंगा, माधीबाई, गोरधनी, रामी, सकोबाई पुत्रीया बजरंगा, कन्या पत्नी बजरंगा) प्रत्येक को 1/80–1/80 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जाता हैं। प्रतिवादी क्रम 23 से लगायत 26 (नागाराम पुत्र कान्हा, मथरी पुत्री कान्हा, पाना पुत्री कान्हा, धन्नी पत्नी कान्हा) प्रत्येक को 1/40–1/40 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 27 कल्याण पुत्र धूल्या को 1/6 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जाता है। तथा प्रतिवादी क्रम 28 से 30 –सीमा, शंकरी पुत्रीया केसर, प्रभूदयाल पुत्र केसर – का नाम खाते से विलोपित किया जाता है। पालना कर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल–दरामद किया जावें तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक ...11/6/25... को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

मेहनताना वकील			मेहनताना वकील			
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान			
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा			
मुत0			मुत0			
मिलान			मिलान			

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा